2007:CGHC:7000

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) क्र० 2804 वर्ष 2005

सुरेश प्रसाद चंदनिया

बनाम

मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) एवं अन्य

आदेश

दिनांक 9-1-2007 के लिए सूचीबद्ध करें।

हस्ता०/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

रिट याचिका (सेवा) क्र° 2804 वर्ष 2005

याचिकाकर्ता : सुरेश प्रसाद चंदनिहा

बनाम

उत्तरवादीगण : मध्यप्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़) एवं अन्य

उपस्थित : श्री मनोज दुबे, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

सुश्री सुनीता जैन, राज्य/उत्तरवादीगण की ओर से पैनल अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 9 जनवरी, 2007 को पारित)

1. इस रिट याचिका (सेवा) के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने दिनांक 4–9–1995 (अनुलग्नक ए–1) के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को लेखापाल के पद से पदावनत करके उसके मूल पद निम्न श्रेणी लिपिक पर नियुक्त किया गया तथा निलंबन अवधि के दौरान केवल निर्वाह भत्ता प्रदान करने की दंडात्मक कार्यवाही की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप–पत्र (अनुलग्नक ए–4) की वैधता को भी चुनौती दी है।

2. यह याचिका प्रारंभ में राज्य प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। राज्य प्रशासनिक अधिकरण के विघटन के पश्चात, इस याचिका को इस न्यायालय में स्थानांतरित कर उपरोक्तानुसार क्रमांकित किया गया।

3. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 21–5–1973 को निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, दिनांक 21–7–1981 को प्रथम श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके पश्चात, दिनांक 21–5–1983 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को लेखापाल के पद पर पदोन्नत किया गया। दिनांक 18–1–1984 (अनुलग्नक ए–3) को याचिकाकर्ता को रोकड़–पंजी के

लेन–देन में अनियमितताओं के आरोप में निलंबित किया गया। तत्पश्चात आरोप–पत्र (अनुलग्नक ए–4) जारी किया गया, जिसमें निम्नलिखित आरोप शामिल थे:–

"आरोप–पत्र

कंडिका (1) यह कि श्री चंदनिहा लेखापाल कच विकास अधिकारी बिलाईगढ़ के कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 52/दिनांक 6–7–93 में सौंपे गये कार्य नहीं किया गया। साथ ही समय–समय पर सौंपे गये कार्य नहीं किये।

कंडिका (2) यह कि श्री चंदनिहा लेखापाल द्वारा लेखा संधारण कार्य 91–92 एवं 92–93 में रोकड़ पंजी में बहुतायत उपरिलेखन कर जान बुझकर त्रुटिपूर्ण लेखा संधारित किया गया। और अपनी इच्छा अनुसार लेखा संधारित किया।

कंडिका (3) श्री चंदनिहा को कलेक्टर रायपुर के ज्ञापन क्र. क/वि. डी–5–6–93 दिनांक के 28–4–03 आधार पर कार्य सम्पादन के निर्देश दिये गये थे किन्तु उनके द्वारा कोई कार्य सम्पादित नहीं किया गया।

कंडिका (4) श्री चंदनिहा द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करते हुए कार्यालय में दुष प्रचार किया गया और विकास खण्ड अधिकारी से ज.रो.यो. अंतर्गत व्यय राशि में से 2% कमीशन की राशि के मान से 70,000/– कमीशन राशि की मांग करते हुए दिनांक 2–9–93, 9–9–93 एवं 8–9–93 आवेदन कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को पेश किया। जो दुष चरित्र का परिचायक है।

हस्ता०/–

कलेक्टर,

रायपुर(म०प्र०)"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. एक विभागीय जांच संस्थित की गई और जांच में आरोप क्रमांक 1, 2 तथा 4 सिद्ध पाए गए, जबकि आरोप क्रमांक 3 आंशिक रूप से सिद्ध पाया गया। कलेक्टर ने, दिनांक 4–9–1995 (अनुलग्नक ए–1) के अपने आदेश द्वारा, दिनांक 2–2–1995 की जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, याचिकाकर्ता को लेखापाल के पद से पदावनत करके उसके मूल पद निम्न श्रेणी लिपिक पर नियुक्त किया तथा निलंबन अवधि के दौरान केवल निर्वाह भत्ता प्रदान करने की कार्यवाही की गई। याचिकाकर्ता को उक्त आक्षेपित

2007:CGHC:7000

आदेश पारित किए जाने से पूर्व जांच प्रतिवेदन के आधार पर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता ने गंभीर कदाचार किया है।

5. याचिकाकर्ता ने, उक्त आदेश से व्यथित होकर, आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त ने, दिनांक 3–8–1998 (अनुलग्नक ए–2) के अपने आदेश द्वारा, अपील का विस्तृत परीक्षण करते हुए, जांच अधिकारी की निष्कर्षों तथा कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 4–9–1995 (अनुलग्नक ए–1) के आदेश की पुष्टि की।

6. याचिकाकर्ता ने, इस याचिका के माध्यम से, कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 4–9–1995 (अनुलग्नक ए–1) के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती दी है कि याचिकाकर्ता द्वारा माँगे गए दस्तावेज़ उसे उपलब्ध नहीं कराए गए। जब यह प्रश्न किया गया कि क्या जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा माँगे गए उन दस्तावेज़ों पर आश्रित होकर निष्कर्ष निकाला है, तो याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान अधिवक्ता कोई ऐसा अंश नहीं बता सके, जिसमें उन दस्तावेज़ों का उल्लेख हो और जिनके आधार पर जांच अधिकारी ने आरोप सिद्ध माने हों। यह याचिका अत्यंत अस्पष्ट, संक्षिप्त एवं सुसंगत तथ्यों से रहित है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि कुछ दस्तावेज़, जिनकी याचिकाकर्ता ने मांग की थी, पर जांच में भरोसा नहीं किया गया है और वे दस्तावेज़ याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराए गए, तो इस आधार पर जांच को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता, जब जांच अधिकारी ने आरोपों को ऐसे दस्तावेज़ों के आधार पर सिद्ध नहीं माना हो। यह भी सुस्पष्ट रूप से स्थापित है कि यदि जांच प्रतिवेदन कुछ साक्ष्यों पर आधारित हो और अभियुक्त कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया हो, साथ ही नियोक्ता के गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर और सुसंगत दस्तावेज़ अग्रिम रूप से उपलब्ध कराए गए हों, तो उस प्रतिवेदन को मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त एवं अन्य*[1] के मामले में निम्नलिखित विचार व्यक्त किए:

"9. सामान्यतः उच्च न्यायालय तथा यह न्यायालय विभागीय जांच में दर्ज तथ्यात्मक निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता, किन्तु यदि 'दोषसिद्धि' का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं हो, तो वह निर्णय मनमाना होगा और न्यायिक परीक्षण के योग्य होगा।"

"10. अतः उन निर्णयों के बीच स्पष्ट भेद किया जाना आवश्यक है जो मनमाने हैं और जो नहीं हैं। यदि कोई निर्णय ऐसे साक्ष्य पर आधारित हो जो अस्तित्वहीन हो अथवा पूर्णतः अविश्वसनीय हो और जिस पर कोई समझदार व्यक्ति विश्वास न करे, तो वह आदेश मनमाना माना जाएगा। परंतु यदि अभिलेख में कुछ ऐसा साक्ष्य विद्यमान हो जो स्वीकार्य हो और जिस पर कुछ हद तक भरोसा किया जा सके, भले ही वह संक्षिप्त हो, तो उस निष्कर्ष को मनमाना नहीं माना जाएगा और ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।"

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *योगीनाथ डी. बागडे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य*[2] के मामले में निम्नलिखित अवलोकन किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"51. यह सुस्थापित विधि है कि यदि निष्कर्ष मनमाने हों और अभिलेख में विद्यमान साक्ष्यों द्वारा समर्थित न हों, या विभागीय जांच में अभिलिखित किए गए निष्कर्ष ऐसे हों, जिन पर कोई सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति नहीं पहुँच सकता, तो उच्च न्यायालय तथा यह न्यायालय दोनों ही इस विषय में हस्तक्षेप कर सकते हैं। *कुलदीप सिंह बनाम पुलिस आयुक्त* के मामले में इस न्यायालय ने *नंद किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य बनाम रामाराव, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लि. बनाम प्रकाश चंद जैन, भारत आयरन वर्क्स बनाम भगवानभाई बालूभाई पटेल* तथा *राजेन्द्र कुमार किंद्रा बनाम दिल्ली प्रशासन* जैसे पूर्ववर्ती निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह प्रतिपादित किया कि यद्यपि न्यायालय विभागीय जांच में अनुशासनिक प्राधिकारी या जांच अधिकारी द्वारा दर्ज निष्कर्षों की पुनः अपील की भांति समीक्षा नहीं कर सकता, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह कहा गया कि संविधान के अंतर्गत उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त न्यायिक समीक्षा की शक्ति में विभागीय जांच भी सम्मिलित है और यदि निष्कर्ष ऐसे हों जिन्हें कोई सामान्य प्रज्ञा का व्यक्ति नहीं मान सकता या वे निष्कर्ष साक्ष्य रहित या मनमाने हों, तो न्यायालय ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप कर सकता है।"

2007:CGHC:7000

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *वी. रमना बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं अन्य*[3] के मामले में निम्नलिखित विचार व्यक्त किया:

"11. इन सभी निर्णयों में समान सूत्र यह है कि न्यायालय को प्रशासक के निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह निर्णय अतार्किक न हो, प्रक्रिया में गंभीर त्रुटियों से ग्रसित न हो, या ऐसा न हो कि वह न्यायालय के अंतरात्मा को झकझोर दे — अर्थात् वह निर्णय तर्क या नैतिक मानकों की पूर्ण अवहेलना में न हो। *वेडनसबरी मामले* में वर्णित सिद्धांत के अनुसार, न्यायालय को उस विकल्प की सत्यता की समीक्षा नहीं करनी चाहिए जिसे प्रशासक ने अपने विवेक से चुना हो, और न्यायालय को अपना निर्णय प्रशासक के निर्णय के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र केवल निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में पाई गई कमियों तक सीमित है, न कि स्वयं निर्णय तक।"

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *पंजाब स्टेट सिविल सप्लाईज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सिकंदर सिंह*[4] के मामले में निम्नलिखित अवलोकन किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "40. दीवानी न्यायालय उपर्युक्त आदेश में हस्तक्षेप कर सकता है यदि यह पाया जाए कि दंडस्वरूप पारित की गई बर्खास्तगी की कार्यवाही वैधानिक नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए की गई हो, अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ हो, या उसमें अवैध त्रुटियाँ विद्यमान हों, अथवा विभागीय कार्यवाही संपादित करने में जांच अधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएँ की गई हों।"

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *जयराजभाई जयंतिभाई पटेल बनाम अनिलभाई नाथुभाई पटेल एवं अन्य*[5] के मामले में निम्नलिखित अवलोकन किया:

"18. समस्त तथ्यों पर विचार करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक प्रशासनिक निर्णय अतार्किक न हो, प्रक्रिया संबंधी त्रुटियों से ग्रसित न हो, या ऐसा न हो कि वह न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दे — अर्थात् वह निर्णय तर्क या नैतिक मानकों की अवहेलना में हो। तथापि, कोई एक समान सूत्र या मानक ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो प्रत्येक मामले में समान रूप से लागू हो। प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके विशेष तथ्यों के

आधार पर किया जाना आवश्यक है, जिसमें यह देखा जाता है कि शक्ति का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी कौन है, उस शक्ति का स्रोत, स्वरूप अथवा क्षेत्राधिकार क्या है, तथा वह शक्ति विधि के क्रियान्वयन पर या किसी व्यक्ति अथवा समाज पर किस प्रकार का स्थायी प्रभाव डालती है। ...."

13. याचिकाकर्ता की वैकल्पिक दूसरा तर्क यह है कि न्याय के हित में उस पर आरोपित दंड को कम किया जाए।

14. याचिकाकर्ता ने दंड में कमी पर विचार करने हेतु कोई कारण प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण की परिस्थितियों में अधिरोपित दंड न्यायिक अंतरात्मा को झकझोरने वाला नहीं है। न्यायिक समीक्षा का क्षेत्र केवल निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया में पाई गई त्रुटियों तक सीमित है, न कि स्वयं निर्णय लेने के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपर्युक्त कारणों के आधार पर यह याचिका निरस्त की जाती है। पक्षकारों को अपने–अपने व्ययों वहन करने होंगे।

हस्ता०/–

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

[1] (1999) 2 SCC 10
[2] (1999) 7 SCC 739
[3] (2005) 7 SCC 338
[4] (2006) 3 SCC 736
[5] (2006) 8 SCC 200

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By: Shantam Awasthi, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur